

19

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय खंडपीठ रीवा

बोर्ड ग्वालियर म०प्र०



R5346-II/16

1. भोला कोरी पिता स्व० श्री विशेषर कोरी उम्र 60 वर्ष.
2. शंकर कोरी पिता स्व० श्री विशेषर कोरी उम्र 56 वर्ष
3. विष्णुकांत कोरी पिता स्व० श्री विशेषर कोरी उम्र 46 वर्ष
4. सुकलिया पत्नी स्व० श्री बिहारी कोरी उम्र 52 वर्ष
5. संजय कोरी पिता स्व० श्री बिहारी कोरी उम्र 24 वर्ष सभी निवासी

ग्राम रोयनी वृत्त कोठी तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....  
 .....निगराकारगण

**बनाम**

गंगा प्रसाद शर्मा पिता श्री रामकन्हाई शर्मा उम्र 66 वर्ष, पेशा सेवा निवृत्त निवासी ग्राम रोयनी वृत्त कोठी तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

2. म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर सतना जिला सतना म०प्र०.....  
 .....गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध राजस्व प्रकरण कमांक 04ए 12/11-12 आदेश दिनांक 13.02.2012 न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन सतना जिला सतना म०प्र०  
 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता 1959

श्री जी. रत्न. ना. पेशा 27-7-16  
 कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
 गंगा प्रसाद शर्मा


h

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5346-II/16

जिला-सतना

भोला कोरी वगैरः/गंगा प्रसाद शर्मा

| (1)      | (2)   | (3) |
|----------|---|-----|
| 01.02.17 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"><br/>सदस्य</p> |     |